(31)

संख्याः 2002/VII-II-11/124–उद्योग/2006

प्रेषक,

ललित मोहन आर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 अगस्त, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजनान्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1220/VII-II-11/124–उद्योग/2006 दिनांक 26 मई 2011 के क्रम में आपके पत्र संख्याः1819/उ0नि0–(दो)–15/बजट/2011–12/दिनांक 23 जुलाई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2011–12 में ट्राइबल सब प्लान के अधीन जिला योजनान्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल ₹1.74 लाख (₹एक लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि **पुर्नविनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार** अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– जिन मदों से धनराशि व्यावर्तित की जा रही है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में कोई भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2012 से पूर्व कर लिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग

अनुदान संख्या – 31

प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(आयोजनागत) 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत 103–हथकरघा उद्योग, 03–कार्डिंग/वीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण– 1150 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	–	950	(क) 200	(आयोजनागत) 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत 105–खादी ग्रामोद्योग 01–अनुसूचित जनजाति उपयोजना (ख) 03–व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान 174 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	522	976	(क) आवश्यकता न होने के कारण (ख)बजट प्राविधान कम होने के कारण।
योग– 1150	--	**950**	**200**	**174**	**522**	**976**	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(एम.सी. उप्रेती)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्याः 393(A)/XXVII(2)/2011 दिनांक 17 अगस्त, 2011

17/8/11
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव,वित्त।

सेवा में,

महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

संख्याः 2002/VII-II-11/124–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक उद्योग,उद्योग निदेशालय देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एम.सी. उप्रेती)
अपर सचिव।